

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 41/2021 (GCMS : 2021/124)

डालूराम पुत्र श्री चेतनराम जाति सुथार निवासी गांव व डाकखाना फौजूवाला
तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रियंका बिश्नोई, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीविजयनगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर




अप्रार्थीगण

11.02.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री दिनेश छाबड़ा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में लम्बित प्रार्थना पत्र अनवानी डालूराम बनाम सरकार प्रकरण संख्या 27/2006 अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अनवानी डालूराम बनाम सरकार प्रकरण संख्या 27/2006 में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है। अतः इसी  पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुक्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर